



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271682
CG-DL-E-10042026-271682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1746]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948

No. 1746]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2026

का.आ. 1814(अ).— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 2026 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में, अनुसूची 1 के भाग क शीर्षक "उर्वरक के विनिर्देश", में -

(क) उपशीर्ष 1(क) ऋतु नाइट्रोजनी उर्वरक में,

(i) क्रम संख्याक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्याक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा

(ख) उपशीर्ष 1(ड), एन पी मिश्रित उर्वरक में, क्रम संख्याक (10) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 2-1/2026 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संख्यांक का.आ. 1574 (अ) तारीख 25 मार्च, 2026 द्वारा उसे अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 9th April, 2026

S.O. 1814(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Fifth Amendment Order, 2026.

(2) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, in schedule I, in Part A, in the heading Specifications of Fertilisers,-

(a) in sub-heading 1(a) relating to STRAIGHT NITROGENEOUS FERTILISERS,

(i) the serial number 4 and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) the serial number 7 and entries relating thereto shall be omitted;

(b) in sub-heading 1(e) relating to N.P. COMPLEX FERTILISERS, the serial number 10 and entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 2-1/2026 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note:-The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* G.S.R. number 758 (E), dated the 25th September, 1985 and was last amended *vide* S.O number 1574 (E), dated the 25th March, 2026.